



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 3 जनवरी, 2022

पौष 13, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या 2637 / 77-3-2021-57(एम)-2020

लखनऊ, 03 जनवरी, 2022

अधिसूचना

प0आ0-2

चूंकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1843 / 77-3-2021-57(एम)-2020, दिनांक 26 सितम्बर, 2021, लोक प्रयोजन अर्थात् उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु अपेक्षित जिला आजमगढ़, तहसील-बूढ़नपुर/फूलपुर स्थित ग्राम गोरथानी में 2.8208 हेक्टेयर, अनन्तपुर में 0.0470 हेक्टेयर, सूखीपुर में 0.0154 हेक्टेयर, इटौरी खालिसपुर में 0.0018 हेक्टेयर, परानपुर में 0.1857 हेक्टेयर, जोगीपुर में 0.2111 हेक्टेयर, गनपतपुर में 0.0617 हेक्टेयर, रामपुर मु0 गनपतपुर में 0.0056 हेक्टेयर, फलवरिया में 0.0525 हेक्टेयर, मनियारपुर में 0.6847 हेक्टेयर, चकिया में 1.2537 हेक्टेयर व प्रधानपुर में 0.0060 हेक्टेयर अर्थात् कुल 5.346 हेक्टेयर भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी और अंततः दिनांक 26 सितम्बर, 2021 को प्रकाशित की गयी थी। आजमगढ़ के कलेक्टर को परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन उपबन्धों के अनुसरण में प्रस्तुत की गयी कलेक्टर की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करती हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल

लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और अनुसूची "ख" में यथा-प्रदत्त ग्राम, परगना और जिला में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए चिन्हांकित नहीं की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)।

राज्यपाल अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन आजमगढ़ के कलेक्टर को इस आशय की घोषणा प्रकाशित करने के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को संक्षिप्त रूप में प्रकाशित करने के लिए निदेश देती हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है। (जिला आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि अर्जन से किसी परिवार का विस्थापित होना संभाव्य नहीं है। अतएव पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।)

अनुसूची-क

क्रम संख्या	जिला का नाम	तहसील का नाम	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	गोरथानी	236	0.4500
					249	0.1984
					60	0.0152
					61	0.1716
					76	0.1287
					77	0.3880
					81	1.0570
					82	0.0010
					83	0.1170
					84	0.0460
					85	0.0660
					86	0.0132
					89	0.1358
					95क	0.0400
					118	0.0012
					119	0.0156
					120	0.0165
					121	0.0096
					योग	2.8208
2	आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	अनन्तपुर	35	0.0470
					योग	0.0470

1	2	3	4	5	6	7
3	आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	सूखीपुर	331	0.0154
					योग	0.0154
4	आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	इटौरी खालिसपुर	3	0.0018
					योग	0.0018
5	आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	परानपुर	73	0.0032
					37	0.0075
					53	0.0018
					59	0.0567
					70	0.0027
					86	0.0106
					89	0.0280
					99	0.0026
					227	0.0172
					235	0.0155
					95	0.0399
					योग	0.1857
6	आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	जोगीपुर	355	0.0354
					364	0.1230
					365	0.0057
					368	0.0050
					372	0.0036
					375	0.0384
					योग	0.2111
7	आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	गनपतपुर	277mi	0.0060
					276	0.0387
					172	0.0170
					योग	0.0617
8	आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	रामपुर मु0 गनपतपुर	23	0.0008
					24	0.0048
					योग	0.0056
9	आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	फलवरिया	4	0.0525
					योग	0.0525
10	आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	मनियारपुर	30	0.0220
					33	0.0077
					40	0.0056
					41	0.0316
					44mi	0.0964
					46	0.0558
					48	0.0549
					392	0.0288
					390	0.1052

1	2	3	4	5	6	7
					387	0.0019
					388	0.0497
					368	0.0150
					369	0.0491
					217	0.0104
					218	0.0750
					378	0.0756
					योग	0.6847
11	आजमगढ़	फूलपुर	माहुल	चकिया	243	0.3151
					4mi	0.0112
					322mi	0.0208
					324mi	0.0002
					233	0.0704
					231	0.0220
					232	0.0220
					230	0.0010
					215	0.0580
					216	0.0504
					217	0.0001
					245	0.6440
					250mi	0.0385
					योग	1.2537
12	आजमगढ़	फूलपुर	माहुल	प्रधानपुर	75mi	0.0060
					महायोग	5.346

अनुसूची - ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	शून्य	शून्य	शून्य
	फूलपुर	माहुल	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी—अर्जन के प्रयोजनार्थ उक्त भूमि का नक्शा कलेक्टर, आजमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2637/LXXVII-3-2021-57(M)-2020, dated January 3, 2022 :

No. 2637/LXXVII-3-2021-57(M)-2020

Dated Lucknow, January 3, 2022

WHEREAS preliminary notification no. 1843/LXXVII-3-2021-57(M)-2020, dated September 21, 2021 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the "said Act"), in respect of total 5.346 Hectares of land in Villages- village Gorthani 2.8208 hect, Anantpur 0.0470 hect, Sukhipur 0.0154 hect, Itauri Khalispur 0.0018 hect, Paranpur 0.1857 hect, Jogipur 0.2111 hect, Ganpatpur 0.0617 hect, Rampur Mu.Ganpatpur 0.0056 hect, Phalwariya 0.0525 hect, Maniyarpur 0.6847 hect, Chakiya 1.2537 hect, and Pradhanpur 0.0060 hect, Tehsil-Burhanpur/Phoolpur, in District Azamgarh required for public purpose namely, Gorakhpur Link Expressway Project through Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority and lastly published on September 26, 2021. The Collector, Azamgarh was appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project-affected families;

NOW, THEREFORE, after considering the report of the Collector, Azamgarh submitted in pursuance to sub-section (2) of section 15 of the said Act, the Governor is pleased to declare under sub-section (1) of section 19 of the said Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in Schedule-A below is needed for public purpose and no land in the Village, Paragana and District as given in Schedule-B has been identified for Rehabilitation and Resettlement of the displaced families (No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the said Act to direct the Collector of Azamgarh to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith. (No family is likely to be displaced due to land acquisition for Gorakhpur Link Expressway Project in district Azamgarh. Hence there is no need for identification of any land for Rehabilitation & Resettlement and publication of summary of Rehabilitation and Resettlement Scheme.)

SCHEDULE-A

Sl. no.	District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired (In Hect.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Azamgarh	Burhanpur	Atraulia	Gorthani	236	0.4500
					249	0.1984
					60	0.0152
					61	0.1716
					76	0.1287
					77	0.3880
					81	1.0570
					82	0.0010
					83	0.1170
					84	0.0460
					85	0.0660

1	2	3	4	5	6	7
					86	0.0132
					89	0.1358
					95K	0.0400
					118	0.0012
					119	0.0156
					120	0.0165
					121	0.0096
					Total	2.8208
2	Azamgarh	Burhanpur	Atraulia	Anantpur	35	0.0470
					Total	0.0470
3	Azamgarh	Burhanpur	Atraulia	Sukhipur	331	0.0154
					Total	0.0154
4	Azamgarh	Burhanpur	Atraulia	Itauri Khalispur	3	0.0018
					Total	0.0018
5	Azamgarh	Burhanpur	Atraulia	Paranpur	73	0.0032
					37	0.0075
					53	0.0018
					59	0.0567
					70	0.0027
					86	0.0106
					89	0.0280
					99	0.0026
					227	0.0172
					235	0.0155
					95	0.0399
					Total	1.1857
6	Azamgarh	Burhanpur	Atraulia	Jogipur	355	0.0354
					364	0.1230
					365	0.0057
					368	0.0050
					372	0.0036
					375	0.0384
					Total	0.2111
7	Azamgarh	Burhanpur	Atraulia	Ganpatpur	277MI	0.0060
					276	0.0387
					172	0.0170
					Total	0.0617

1	2	3	4	5	6	7
8	Azamgarh	Burhanpur	Atraulia	Rampur Mu.Ganpatpur	23	0.0008
					24	0.0048
					Total	0.0056
9	Azamgarh	Burhanpur	Atraulia	Phalwariya	4	0.0525
					Total	0.0525
10	Azamgarh	Burhanpur	Atraulia	Maniyarpur	30	0.0220
					33	0.0077
					40	0.0056
					41	0.0316
					44mi	0.0964
					46	0.0558
					48	0.0549
					392	0.0288
					390	0.1052
					387	0.0019
					388	0.0497
					368	0.0150
					369	0.0491
					217	0.0104
					218	0.0750
					378	0.0756
					Total	0.6847
11	Azamgarh	Phoolpur	Mahul	Chakiya	243	0.3151
					4mi	0.0112
					322mi	0.0208
					324mi	0.0002
					233	0.0704
					231	0.0220
					232	0.0220
					230	0.0010
					215	0.0580
					216	0.0504
					217	0.0001
					245	0.6440
					250mi	0.0385
					Total	1.2537

1	2	3	4	5	6	7
12	Azamgarh	Phoolpur	Mahul	Pradhanpur	75mi	0.0060
					Total	0.0060
					GRAND TOTAL	5.346

SCHEDULE-B
(Land Identified as Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for rehabilitation (In Hect.)
1	2	3	4	5	6
Azamgarh	Burhanpur	Atraulia	Zero	Zero	Zero
	Phoolpur	Mahul	Zero	Zero	Zero

NOTE – A plan of land may be inspected in the Office of the Collector, Azamgarh for the purpose of acquisition.

By order,
ARVIND KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv.

